न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 24 / 2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 झाबर सिंह जाखड़ पुत्र गोपीराम जाखड़ जाति जाट निवासी भोपतपुरा वाया रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

1 भींवाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 श्रीमान जिला कलेक्टर सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व संपरिवर्तन आदेश द्वारा जिला कलेक्टर सीकर कमांक एफ16(5) भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/16/860 दिनांक 28.03.2016 जिसके तहत ग्राम रामपुरा थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 251/2 रकबा 0.1571 हैक्टेयर में से 1300 वर्गमीटर भूमि वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ बाबत संपरिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है

उपस्थिति :

1. श्री भीमसिंह रूहेला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 17.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 860/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 28.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने स्वयं के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 251/2 का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन आवेदन किया जो विचारण न्यायालय द्वारा अपनी आज्ञा कमांक एफ 16(5) भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/16/860 दिनांक 28.03.2016 से सम्परिवर्तन आदेश जारी किया है। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा धारा 96 व धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट को विचाराधीन आदेश की जानकारी नही थी। विवादित भूमि पर पेट्रोल पम्प का कार्य प्रारम्भ करने पर आस पडोस के लोगो से जानकारी हुई अपीलांट के स्वामीत्व का पेट्रोल पम्प विचाराधीन भूमि से कुछ ही दुरी पर अवस्थित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प अपीलांधीन अवैध आदेश की आड़ में लगाया जा रहा है। जिसके कारण अपीलांट के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ता है। अपीलांट प्रभावित व्यक्ति है अत धारा 96 व धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के यहां सम्परिवर्तन प्रयोजनार्थ कार्यवाही के तहत जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार खसरा नम्बर 251 में से पूर्व पश्चिम लम्बाई 35 मीटर बतायी गयी है जबकि नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 251/2 की चौड़ाई 35 मीटर है ही नही। खसरा नम्बर 251 के लगते हुए खसरा नम्बर 256 गै.मु. कुआ अवस्थित है जो सरकारी भूमि है। खसरा नम्बर 251/2 की अन्तिम छोर की चौड़ाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नक्शा ट्रेस के अनुसार 35 मीटर से कम है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड श्रीमाधोपुर की जांच दिनांक 27.08.2015 से प्रमाणित है। इस कारण अपीलाधीन सम्परिवर्तन आदेश नियम व विधि विरूद्व होने के कारण स्थिर रहने योग्य है जो निरस्त किये किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपीलाधीन सम्परिवर्तन आदेश पारित करने से पूर्व सम्परिवर्तन नियमों व शर्तो की पालना नही की गयी। अपील स्वीकार कर सम्परिवर्तन आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपीलांट हितबद्व पक्षकार नही है। अपीलांट ने नजदीक ही पेट्रोल पम्प लगा रखा है। अपीलांट व्यवसायी प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या के कारण यह कार्यवाही कर रहा है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 की स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि को निर्धारित शर्तो के अधीन विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन आदेश पारित किया है। जिसमें कोई विधिक अनियमितता नही है। अपीलांट पिड़ित पक्षकार नही है अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के धारा 5 के आवेदन को न्यायहित में बिना विवेचन स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पोडेंट प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि के सम्परिवर्तन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने सम्परिवर्तन के लिये निर्धारित प्रकिया की पालना कर विचाराधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट न तो विवादित भूमि का सहकाश्तकार है, न ही विवादित भूमि का पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। इस सम्परिवर्तन से अपीलांट के हक अधिकार किस प्रकार प्रभावित होते है। यह स्पष्ट करने में अपीलांट असफल रहा है। अपीलांट इस प्रकरण में किस प्रकार प्रभावित पक्षकार है यह स्पष्ट करने में भी असफल रहा है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का आवेदन धारा 96 स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है। फलस्वरूप अपीलांट का आवेदन धारा 96 एवं अपीलांट की अपील गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर